अब समय है समाज मे जागरुकता लाने की। आईये हमारे साथ उठिए, केन्द्रीय मानवाधिकार साप्ताहिक है आपके साथ। मानवाधिकार हनन/ महिला उत्पीडन/बालश्रम/ भष्ट्राचार/ शैक्षणिक विसंगतिया आदि जैसे घटनाए आपके द्वारा लिये गये लेख, कविता, सच्ची घटनाएं, विडिओ क्लिपिंग हमे भेजे.

संपादक :- मिलिंद दहिवले

केन्द्रीय मानवाधिकार

सम्माननीय जीवन समान अधिकार

RNI No. MAHHIN 2012/46038

POSTED UNDER PREPAYMENT POSTAGE

Postal Reg.No.: NPCity/405/2025-2027

सेवा में,

श्री/मेसर्स

.....

.....

.....

.....

Email : manvadhikar2012@gmail.com | मानवाधिकार हनन, महिला उत्पीडन, बालश्रम एवं भष्ट्राचार पर केंद्रीत हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र

नागपुर. सोमवार, 4 से रविवार 10 अगस्त 2025 | वर्ष : 15 | अंक : 5 | पृष्ठ : 4 | मुल्य : 2 रुपए

पीड़ित परिवार को 35 लाख रुपए का चेक सौंपा गया

मुंबई - पुणे स्थित टाटा मोटर्स में कार्यरत ठेका श्रमिक पुष्पेंद्र कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद, विधानसभा उपाध्यक्ष अन्ना बनसोडे ने श्रम आयुक्त और टाटा कंपनी के अधिकारियों को पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया था। तत्पश्चात, विधानसभा उपाध्यक्ष अन्ना बनसोडे ने पीड़ित परिवार को 35 लाख रुपये का चेक सौंपा। विधानसभा उपाध्यक्ष के हॉल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाटा मोटर्स के प्रबंधक, श्रम विभाग के अधिकारी, पुलिस अधिकारी और श्रमिक नेता शामिल हुए। बनसोडे ने कहा कि दुर्घटना के बाद श्रमिकों के परिवारों की ज़िम्मेदारी लेना कंपनी के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। यह संतोषजनक है कि सभी संबंधित अधिकारियों, पुलिस विभाग और ठेकेदार के सहयोग से पीड़ित परिवार को 35 लाख रुपये की सहायता देने का निर्णय लिया गया। उपाध्यक्ष ने यह भी कहा कि इस निर्णय से पीड़ित परिवार को राहत मिली है और भविष्य में भी उन्हें ब्याज के रूप में सहायता मिलती रहेगी। मृतक पुष्पेंद्र कुमार को ठेके पर काम दिया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए, श्री टाटा मोटर्स ने पीड़ित परिवार को 30 लाख की आर्थिक सहायता, फिक्स डिपॉज़िट के रूप में और उस पर हर महीने ब्याज देने पर सहमति व्यक्त की। साथ ही, पीड़ित परिवार को खर्च के लिए 5 लाख दिए जाने की जानकारी दी गई।

दिल्ली के सांस्कृतिक भवन की योजना मुख्यमंत्री को सौंपी गई

नई दिल्ली - दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन के समापन समारोह में घोषणा की गई कि महाराष्ट्र सरकार दिल्ली में एक बहुउद्देश्यीय सांस्कृतिक भवन का निर्माण करेगी। इसके लिए महाराष्ट्र सदन क्षेत्र में एक जगह की पहचान कर ली गई है और इसका प्रस्तावित डिज़ाइन हाल ही में रेजिडेंट कमिश्नर एवं सचिव आर. विमला द्वारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपा गया है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की दिल्ली यात्रा के दौरान, महाराष्ट्र सदन में आयोजित एक बैठक में श्रीमती आर. विमला ने विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इसमें मुख्य रूप से सांस्कृतिक भवन के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। इस सांस्कृतिक भवन में एक बहुउद्देश्यीय हॉल, महाराष्ट्र में भारतीय प्रशासनिक सेवा के विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार-योग्य उम्मीदवारों के लिए आवास, एक विशाल पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष तथा सहायक सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। साथ ही, आवासीय आयुक्त श्रीमती विमला ने महाराष्ट्र सदन क्षेत्र में अधिकारियों और कर्मचारियों के आवासों और अन्य प्रशासनिक विषयों के संबंध में एक विस्तृत प्रस्तुति दी। इसके साथ ही, महाराष्ट्र में मौसमी फलों की प्रदर्शनी और बिक्री हॉल तथा स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों का प्रदर्शनी हॉल पूरे वर्ष के लिए इस स्थान पर बनाए रखने की चल रही योजना की जानकारी दी गई। दिल्ली में महाराष्ट्र महोत्सव का आयोजन किया जाए और महाराष्ट्र की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन प्रस्तावित है। इसके लिए निधि उपलब्ध कराने की भी मांग की गई। मुख्यमंत्री ने इन सभी परियोजनाओं के संबंध में सकारात्मकता दिखाई और आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए।

गोदाम निर्माण हेतु प्रस्ताव आमंत्रित

नागपुर - राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (गलितधान्य) के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए नागपुर जिले को 250 मीट्रिक टन प्रति गोदाम क्षमता वाले कुल 1 गोदाम के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। कृषक उत्पादक संघ और कंपनियाँ गोदाम निर्माण का लाभ उठाने के पात्र होंगे। इसके लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या 12.50 लाख रुपये, जो भी कम हो, अनुदान देय होगा। यह मामला बैंक ऋण से संबंधित है और आवेदक बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत होने के बाद ही उक्त मामले का लाभ पाने के पात्र होंगे। कृषकों को लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित डिज़ाइन, विनिर्देशों और लागत अनुमान के साथ महाराष्ट्र राज्य भंडारण निगम के प्राधिकृत अधिकारी या तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय में प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए 31 जुलाई के अंत तक तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए उपविभागीय कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, मंडल कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क करने की अपील जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी मनोहरे ने की है।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजना की शर्तों में छूट

मुंबई - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसफल आवास योजना के अंतर्गत, सफाई कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति या सेवाकाल में मृत्यु के बाद उनके पात्र उत्तराधिकारियों को निःशुल्क स्वामित्व के आधार पर फ्लैट प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान में, 25 वर्ष या उससे अधिक सेवा करने वाले सफाई कर्मचारियों को फ्लैट प्रदान किए जाते हैं। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने नगर विकास विभाग को सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष करने का प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में मंत्रालय स्थित उनके समिति कक्ष में सफाई कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों पर बैठक आयोजित की गई।

इस अवसर पर सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, विधायक संजय मेश्राम, विधायक अतुल भातखलकर, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवड़ा, सामाजिक न्याय विभाग के प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबले, उपमुख्यमंत्री के सचिव डॉ. राजेश देशमुख सहित नगरीय विकास, सामाजिक न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग और सफाई कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

उपमुख्यमंत्री पवार ने कहा कि राज्य में हाथ से मैला ढोने की प्रथा को रोकने के लिए राज्य ने 'मैनहोल टू मशीन होल' योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से मशीनीकरण की मदद से सीवर, सीवेज लाइन, सेप्टिक टैंक की सफाई की जाएगी। इस योजना के तहत स्वच्छता कार्यों के लिए यांत्रिक उपकरण, आधुनिक वाहन, साथ ही आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए स्वच्छता इकाइयाँ खरीदी जाएंगी। यह योजना शहरी विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और इसके लिए 504 करोड़ रुपये की निधि स्वीकृत की गई है। इसके लिए 2024-25 के मानसून सत्र में 100 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग को मंजूरी दी गई है और 31 मार्च, 2025 को शहरी विकास विभाग को वितरित किया गया है। सीवर की सफाई के लिए यांत्रिक उपकरण, स्वच्छता मशीनरी, रोबोटिक इकाइयों और आपातकालीन वाहनों की खरीद प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इन वाहनों का रखरखाव और मरम्मत संबंधित एजेंसी द्वारा तीन साल तक की जानी चाहिए। एजेंसी को इस अवधि के दौरान सफाई कर्मचारियों को ड्राइविंग का प्रशिक्षण भी प्रदान करना चाहिए।

राज्य के सभी नगर निगम और नगर पालिकाएँ लैड-पेज समिति की सिफारिशों के अनुसार जारी सरकारी निर्णय को तुरंत लागू करें। उन्होंने इस अवसर पर स्पष्ट निर्देश दिए कि जो नगर निगम या नगर पालिकाएँ इसे लागू नहीं करेंगी, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, उपमुख्यमंत्री पवार ने इस अवसर पर कहा कि प्रत्येक नगर निगम और नगर पालिका को राज्य में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की संख्या के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट शहरी विकास विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

पर्यटन संबंधी आयोजनों के लिए प्रायोजन प्रस्ताव ऑनलाइन प्रस्तुत करें

मुंबई - महाराष्ट्र में विभिन्न पर्यटन उत्सवों, कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए प्रायोजन प्राप्त करने हेतु एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की गई है। अब से, प्रायोजन हेतु धनराशि प्रदान करने के सभी प्रस्ताव महाराष्ट्र पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट maharashtratourism.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है, पर्यटन विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह जानकारी दी है। इस संबंध में, 30 अप्रैल, 2025 के सरकारी निर्णय के अनुसार यह परिवर्तन किया गया है। अब तक, विभिन्न सरकारी संगठनों, धर्मार्थ संगठनों और निजी संगठनों द्वारा आयोजित पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों के प्रायोजन प्रस्ताव सीधे कार्यालय में प्रस्तुत किए जाते थे। नई कार्य पद्धति के अनुसार, किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से 30 दिन पहले पर्यटन प्रायोजन प्रस्ताव ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए, संदर्भ हेतु एक सीधा लिंक https://sponsorship.maharashtratourism.gov.in भी उपलब्ध कराया गया है। सभी संबंधित सरकारी संगठनों, धर्मार्थ संगठनों और निजी संस्थानों से अनुरोध है कि वे इस परिवर्तन पर ध्यान दें और अब से प्रायोजन निधि की माँग के प्रस्ताव केवल महाराष्ट्र पर्यटन की वेबसाइट पर ही ऑनलाइन प्रस्तुत करें। स्थानीय हितधारकों को भी इस बारे में सूचित करने का निर्देश दिया गया है। पर्यटन विभाग के कामकाज में और अधिक सुसंगतता और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। इससे प्रायोजन प्रक्रिया तेज़ और अधिक कुशल हो जाएगी। ऑनलाइन प्रक्रिया से धन वितरण में एकरूपता और गति आएगी, साथ ही प्रशासनिक कार्यों में भी आसानी होगी

संपादक की कलम से

मिलिंद दहिवले
संपादक

ग्रैंड मास्टर दिव्या

ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख ने महिला शतरंज विश्व कप जीतकर भारत को गौरवान्वित किया है। खासकर महाराष्ट्र की पहली ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख ने विश्व विजेता बनकर अंतरराष्ट्रीय शतरंज पटल पर महाराष्ट्र का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर दिया है। इस उपलब्धि के लिए पूरे महाराष्ट्र की ओर से दिव्या देशमुख को हार्दिक बधाई, ऐसा मुख्यमंत्री ने महिला शतरंज विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख को बधाई देते हुए कहा। उन्होंने उपविजेता ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी को भी बधाई दी। अंतरराष्ट्रीय शतरंज बोर्ड पर इन दो भारतीय खिलाड़ियों की चालों ने पूरे शतरंज जगत को आश्चर्यचकित कर दिया, जो भारतीय शतरंज क्षेत्र के लिए भी एक अनूठा और गौरवपूर्ण क्षण है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने अपने बधाई संदेश में कहा, दिव्या ने महिला विश्व कप में अपने दूसरे प्रयास में भारतीय कीर्तिमान स्थापित किया है। वह महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली किशोर शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही, वह अब भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पीएचएफआई और आईएमएमएएसटी के साथ समझौता

मुंबई – महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को अधिक सक्षम और प्रशिक्षित बनाने तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में गुणवत्ता और क्षमता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग और दो विश्वस्तरीय राष्ट्रीय संस्थानों, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआई) और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड मिनिमल एक्सेस सर्जरी ट्रेनिंग (आईएमएमएएसटी) के बीच सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश अबितकर, महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे, राज्य मंत्री मेघना साकोरे-बोर्डिकर, स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉ. निपुण विनायक, चिकित्सा शिक्षा सचिव धीरज कुमार, स्वास्थ्य सेवा आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवड़े, स्वास्थ्य सेवा निदेशक के साथ-साथ दोनों संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी, प्रतिनिधि और प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश अबितकर, महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे, राज्य मंत्री मेघना साकोरे-बोर्डिकर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों समझौता ज्ञापनों से स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अधिक कुशल बनेगी और नर्सिंग स्टाफ को व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलेगा, जो उनके करियर के लिए उपयोगी होगा।

लोक स्वास्थ्य विभाग और पीएचएफआई, आईएमएमएएसटी के बीच हुए समझौता ज्ञापन ने राज्य में लोक स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान और नीति निर्माण में एक नया अध्याय शुरू किया है। इस समझौते का स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी सहयोग और नीतिगत स्तर पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। ये दोनों समझौते महाराष्ट्र की लोक स्वास्थ्य व्यवस्था को तकनीकी रूप से और अधिक मज़बूत बनाएंगे। पीएचएफआई एक ऐसा संगठन है जो भारत में जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह समझौता निम्नलिखित क्षेत्रों पर केंद्रित होगा : राज्य में चिकित्सा अधिकारियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम। सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति, प्रशिक्षण नीति और तकनीकी सहयोग के लिए पीएचएफआई से मार्गदर्शन। स्वास्थ्य प्रणालियों और नीतियों पर आधारित अनुसंधान, नवाचार और कार्यान्वयन। महाराष्ट्र में भारतीय लोक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना की संभावना। यह समझौता 5 वर्ष के लिए है और आपसी सहमति से इसे अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। पीएचएफआई ने पिछले 17 वर्षों में 45,000 से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित किया है। इस संगठन ने भारत भर के 583 जिलों में कार्यरत होकर नीति निर्माण, व्यावसायिक प्रशिक्षण और राष्ट्रीय विशेषज्ञता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

IMMAST और जन स्वास्थ्य विभाग के बीच समझौता - नर्सों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण का एक नया चरण। IMMAST एक राष्ट्रीय संस्थान है जो गहन चिकित्सा, नर्सिंग, शल्य चिकित्सा आदि के क्षेत्रों में अति-यथार्थवादी सिमुलेशन-आधारित प्रशिक्षण के लिए जाना जाता है।

'मुख्यमंत्री समृद्धि पंचायत राज मिशन' का क्रियान्वयन

कैबिनेट बैठक में राज्य की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 से तालुका, जिला, राजस्व विभाग और राज्य स्तर पर 'मुख्यमंत्री समृद्धि पंचायत राज अभियान' पुरस्कार अभियान के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की। इस अभियान के तहत पुरस्कारों के लिए प्रतिवर्ष 290 करोड़ 33 लाख का प्रावधान करने को भी मंजूरी दी गई। इस अभियान में 1,902 पुरस्कार दिए जाएंगे और अभियान की अवधि 17 सितंबर से 31 दिसंबर, 2025 तक होगी। राज्य स्तर पर ग्राम पंचायत को प्रथम स्थान के लिए 5 करोड़ रुपये, द्वितीय स्थान के लिए 3 करोड़ रुपये और तृतीय स्थान के लिए 2 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। संभाग स्तर पर प्रत्येक संभाग में प्रथम 3 ग्राम पंचायतों सहित कुल 18 ग्राम पंचायतों को क्रमशः 1 करोड़, 80 लाख और 60 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। जिला स्तर पर 34 जिलों की कुल 102 ग्राम पंचायतों को क्रमशः प्रथम स्थान के लिए 50 लाख रुपये, द्वितीय स्थान के लिए 30 लाख रुपये और तृतीय स्थान के लिए 20 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। तालुका स्तर (1053 पुरस्कार) पर, कुल 1,53 ग्राम पंचायतों को प्रथम स्थान के लिए 15 लाख रुपये, द्वितीय स्थान के लिए 12 लाख रुपये, तृतीय स्थान के लिए 8 लाख रुपये और 5-5 लाख रुपये के दो विशेष पुरस्कार (702 पुरस्कार) दिए जाएंगे।

पंचायत समिति के लिए राज्य स्तर पर प्रथम स्थान के लिए 2 करोड़ रुपये, द्वितीय स्थान के लिए 1.5 करोड़ रुपये और तृतीय स्थान के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। जबकि संभाग स्तर (18 पुरस्कार) पर प्रथम स्थान के लिए 1 करोड़ रुपये, द्वितीय स्थान के लिए 75 लाख रुपये और तृतीय स्थान के लिए 60 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। जिला परिषद के लिए राज्य स्तर पर प्रथम स्थान के लिए 5 करोड़ रुपये, द्वितीय स्थान के लिए 3 करोड़ रुपये तथा तृतीय स्थान के लिए 2 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।

इस अभियान के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। इस अभियान की तैयारियाँ 1 अगस्त से शुरू हो जाएँगी। इस अभियान के विजेताओं के चयन हेतु तालुका, ज़िला और राज्य स्तर पर मूल्यांकन समितियाँ बनाई जाएँगी। साथ ही, अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संभाग, ज़िला और पंचायत समिति स्तर पर निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्र समिति काम करेगी। इस अभियान के प्रत्येक चरण के मूल्यांकन की प्रक्रिया और समय-सारिणी निर्धारित कर दी गई है। इस अभियान के सात मुख्य घटक हैं। इनमें सुशासित पंचायतें, सशक्त पंचायतें, जल-समृद्ध, स्वच्छ और हरित गाँव, मनरेगा एवं अन्य योजनाओं का एकीकरण, ग्राम-स्तरीय संस्थाओं का सशक्तिकरण, आजीविका विकास एवं सामाजिक न्याय, जन-भागीदारी और श्रमदान के माध्यम से जन-आंदोलन शामिल हैं। इन घटकों के आधार पर अंक प्रदान करके पुरस्कार के लिए चयन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को उचित बाज़ार उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के 'उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका सुधार मिशन' के अंतर्गत राज्य के 10 ज़िलों में 'उमेद मॉल' (ज़िला विक्रय केंद्र) की स्थापना को बैठक में मंज़ूरी दी गई। इस योजना के लिए कुल 200 करोड़ रुपये की निधि स्वीकृत की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के विभिन्न उत्पादों को स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर बाज़ार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस केंद्र की स्थापना की जाएगी। पहले चरण में, यह मॉल 10 ज़िलों में संचालित किया जाएगा और बाद में चरणबद्ध तरीके से इस योजना का विस्तार अन्य ज़िलों में भी किया जाएगा। जिला परिषद की ज़मीन पर बनने वाले प्रत्येक उम्मेद मॉल पर अधिकतम 20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएँगे। प्रत्येक समूह को मॉल में गोलाकार तरीके से कमरे उपलब्ध कराए जाएँगे। महिलाओं के लिए संवाद और प्रशिक्षण हेतु अलग से हॉल भी होगा। "उम्मेद मॉल के लिए जिला परिषदों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। जिन जिलों में उम्मेद मॉल के लिए भूमि उपलब्ध है और यह केंद्र में स्थित है, उनका चयन किया जाएगा।"

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निविदा प्रक्रिया का संचालन, योजनाएँ तैयार करना और कार्य का क्रियान्वयन करेंगे। उमेद मॉल का रखरखाव और मरम्मत जिप द्वारा किया जाएगा।

राज्य के किसानों को कृषि उपज का उचित और वाजिब मूल्य सुनिश्चित करने के लिए 'ई-नाम' योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके तहत, कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर नामित बाज़ार की स्थापना को सुगम बनाने के लिए महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1963 में संशोधन को मंज़ूरी दी गई। कृषि उपज बाजार समिति में कृषि उपज के व्यापार में बाधाओं को कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार राज्य में 133 कृषि उपज बाजार समितियों में ई-एनएएम योजना लागू कर रही है। कृषि उपज के व्यापार के लिए ऑनलाइन तरीके लागू किए जा रहे हैं। लेकिन राज्य में ई-एनएएम के तहत अभी भी "एकल एकीकृत लाइसेंस" का प्रावधान नहीं होने के कारण, अंतर-बाजार और अंतर-राज्य व्यापार शुरू नहीं हो पाया है। इस बीच, केंद्र सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग ने कृषि उपज और पशुधन विपणन (संचालन और सुविधाएं) अधिनियम, 2017 (मॉडल अधिनियम) प्रकाशित किया है। इसके अनुसार, राज्य के महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1963 में संशोधन करने के लिए 2018 के शीतकालीन सत्र में एक विधेयक पेश किया गया था। विधेयक के प्रावधानों में संशोधन के लिए एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया गया था। तदनुसार, केंद्रीय मॉडल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य की उन बड़ी मंडी समितियों को, जो कम से कम दो अन्य राज्यों से कृषि उपज प्राप्त करती हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित मंडी समितियाँ घोषित करने का प्रावधान किया जाएगा। ऐसी मंडी समितियों को राष्ट्रीय स्तर पर निर्दिष्ट मंडी समितियाँ घोषित करने के बाद, इन मंडी समितियों पर सरकार का सीधा नियंत्रण होगा और निर्णय लेने की प्रक्रिया तथा विपणन प्रक्रिया सरल एवं त्वरित होगी। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार के उक्त मॉडल अधिनियम, 2017 के अनुसार "एकल एकीकृत लाइसेंस" संबंधी प्रावधानों को भी शामिल करने की अनुशंसा की गई है।

कृषि उपज मंडी समितियों के सचिवों का एक कैडर बनाने की भी सिफारिश की गई है। ताकि सचिव इस कार्यालय के सीधे नियंत्रण में आकर सरकार और मंडी समिति के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य कर सकें और कृषि उपज मंडी समितियों पर प्रभाव को भी नियंत्रित कर सकें। इसके लिए सचिव को पर्यवेक्षण का कार्य सौंपा जाएगा। उक्त सचिव का वेतन पर्यवेक्षण शुल्क से एकत्रित राशि से दिया जाएगा। इसके लिए अधिनियम में संशोधन भी किया जाएगा ताकि कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा एकत्रित पर्यवेक्षण शुल्क की राशि सरकार के बजाय विपणन विभाग को सौंप दी जाए।

प्रदेश के 70 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे -लोढ़ा

मुंबई - केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग के प्रशिक्षण महानिदेशक ने राज्य के 70 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में नए पाठ्यक्रम शुरू करने को मंज़ूरी दे दी है। चेंबूर में एक सरकारी उच्च स्तरीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना को भी मंज़ूरी दी गई है। कौशल, रोज़गार, उद्यमिता एवं नवप्रवर्तन मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने विश्वास व्यक्त किया है कि बदलते पाठ्यक्रम से रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और इससे महाराष्ट्र के आईटीआई में क्रांति आएगी।

महाराष्ट्र के 70 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सोलर टेक्नीशियन (इलेक्ट्रिक), ईवी मैकेनिक (इलेक्ट्रिक वाहन) जैसे नए पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएँगे। राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण पर आधारित योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित कर रही है और राज्य में सौर ऊर्जा से संबंधित तकनीकों और सोलर टेक्नीशियनों के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के मैकेनिकों की आवश्यकता को देखते हुए, इस क्षेत्र में तकनीशियनों की माँग बढ़ने वाली है। इसी क्रम में, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय ने केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग के प्रशिक्षण महानिदेशक से दो नए पाठ्यक्रमों का अनुरोध किया है।

मुख्यमंत्री मार्गदर्शन में कौशल विकास विभाग अभिनव पहलों को क्रियान्वित कर रहा है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. रघुनाथ माशेलकर और मित्रा के सीईओ प्रवीण परदेशी की सलाह और सुझावों से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में समय के अनुसार पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। वर्तमान में राज्य के 70 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में यह पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। मंत्री लोढ़ा ने यह भी कहा कि जिन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा नए पाठ्यक्रमों की मांग की जाएगी, उन्हें मंजूरी देने की कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग के प्रशिक्षण महानिदेशक ने अनुसूचित जाति एवं नव-बौद्ध समुदायों के प्रशिक्षुओं के सामाजिक सशक्तिकरण एवं उत्थान हेतु चेंबूर में एक राजकीय उच्च स्तरीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस संस्थान में वर्ष 2025-26 तक रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग तकनीशियन, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, आई.ओ.टी. तकनीशियन (स्मार्ट सिटी), इलेक्ट्रिक मैकेनिक के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएँगे।

लोढ़ा ने कहा कि कौशल विकास विभाग का उद्देश्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को समय पर शिक्षा प्रदान कर अधिकतम कुशल जनशक्ति का निर्माण करना है। आईटीआई को उच्च कौशल गुणवत्ता वाले ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए, राज्य के 36 जिला-स्तरीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सहयोग से उन्नत किया जा रहा है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सहयोग से प्रशिक्षण और प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है, राज्य में प्रतिवर्ष अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। आईटीआई में नए कौशल-आधारित पाठ्यक्रम शुरू करने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं जिनकी उद्योग जगत में अधिक मांग है। मंत्री लोढ़ा ने यह भी कहा कि प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों और युवा शक्ति करियर मार्गदर्शन शिविरों के माध्यम से अधिक कुशल जनशक्ति तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है।

अवैध कॉम्प्लेक्स निर्माण का निरीक्षण किया जाए

मुंबई - मनुभारती सोसाइटी के-पश्चिम वार्ड, विले पार्ले और शान कॉर्पोरेशन तथा सद्गुरु बिल्डिंग, के.एस. खांडेकर रोड, परांजपे ए स्कीम, विले पार्ले (पूर्व) द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है कि परिसर में किया जा रहा निर्माण पूरी तरह से अवैध है। इस संबंध में, संबंधित अधिकारी शिकायतकर्ता के साथ मिलकर घटनास्थल का संयुक्त निरीक्षण करें, ऐसा निर्देश विधानसभा के उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे ने दिया। अवैध निर्माण और राज्य को राजस्व की हानि के संबंध में आज़ाद एम खान द्वारा दायर की गई शिकायत के संबंध में विधान भवन में एक बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर संयुक्त आयुक्त (सतर्कता) गंगाधरन डी., अतिक्रमण उन्मूलन उपनगरीय मुंबई विभाग के प्रधान सहायक अभियंता नितिन केनी और शिकायतकर्ता आज़ाद एम खान और शमशीर खान उपस्थित थे। विधानसभा उपाध्यक्ष अन्ना बनसोड़े ने कहा कि इस बैठक में शिकायतकर्ता आज़ाद एम. खान ने अवैध निर्माणों के कारण राज्य के राजस्व को हो रहे भारी नुकसान का मुद्दा उठाया है। तदनुसार, अवैध निर्माणों के संबंध में शिकायतकर्ताओं के साथ संयुक्त स्थल निरीक्षण किया जाए, स्थिति की गहन समीक्षा की जाए और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। विधानसभा उपाध्यक्ष बनसोड़े ने कहा कि अवैध निर्माणों की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए नगर निगम के भवन अनुज्ञा विभाग में आधिकारिक आवेदन किया जाना चाहिए। इससे आगे की कार्रवाई में सुविधा होगी।

मुख्यमंत्री फडणवीस 2 अगस्त को दिव्या देशमुख को करेंगे सम्मानित

नागपुर - 19 वर्ष की आयु में, नागपुर की दिव्या देशमुख ने जॉर्जिया के बटुमी में आयोजित FIDE महिला विश्व कप 2025 में अपनी छाप छोड़ी और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने भारतीय खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी को हराकर शतरंज विश्व कप जीता और '88वीं भारतीय ग्रैंड मास्टर' का खिताब अपने नाम किया। इस अभूतपूर्व सफलता के लिए, महाराष्ट्र सरकार 2 अगस्त को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राजस्व मंत्री एवं पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे, राज्य मंत्री आशीष जायसवाल की उपस्थिति में उन्हें सम्मानित करेगी। जिला कलेक्टर डॉ. विपिन इटनकर ने यह जानकारी दी। बैठक में ज़िला कलेक्टर डॉ. विपिन इटनकर ने विश्वास व्यक्त किया कि नागपुरवासियों सहित ज़िले के सभी खेल संगठन 2 अगस्त को सुबह 11.30 बजे सुरेश भट्ट सभागार में नागपुर की इस लड़की की वैश्विक सफलता का जश्न मनाने के लिए आयोजित समारोह में ज़रूर शामिल होंगे। उन्होंने ज़िले के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों से बड़ी संख्या में इस समारोह में शामिल होने की अपील की। जिला खेल अधिकारी पल्लवी धात्रक ने बताया कि इस विशेष समारोह के लिए आयोजन समिति सहित विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। ज़िला कलेक्टर डॉ. विपिन इटनकर की अध्यक्षता में आज आयोजित बैठक में ज़िला शतरंज संघ के एस.एस. सोमन, नगर निगम, माध्यमिक शिक्षा विभाग और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

यूनेस्को में भारत के राजदूत शर्मा ने मुख्यमंत्री से सद्भावना भेंट की

मुंबई - यूनेस्को में भारत के राजदूत विशाल शर्मा ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खड़गे भी उपस्थित थे। यूनेस्को में भारत के राजदूत विशाल शर्मा ने महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर मुख्यमंत्री श्री फडणवीस को बधाई दी।

'बी.फार्मा' और 'डी.फार्मा' के संस्थान एक महीने के भीतर मानदंड पूरा करें

मुंबई - उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि राज्य में बी.फार्मा और डी.फार्मा पाठ्यक्रम चलाने वाले शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों के हित में एक महीने के भीतर सभी आवश्यक मापदंड पूरे करें, अन्यथा उनकी प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया (कैप राउंड) रोक दी जाएगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने संयुक्त निदेशकों के माध्यम से निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए है। इस पृष्ठभूमि में, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल की अध्यक्षता में मंत्रालय में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में शैक्षणिक वर्ष 2022 से 2025 के दौरान मान्यता प्राप्त बी.फार्मा और डी.फार्मा संस्थानों के मानदंडों के अनुपालन की समीक्षा की गई। बैठक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, तकनीकी शिक्षा निदेशक डॉ. विनोद मोहितकर, महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड के निदेशक डॉ. प्रमोद नाइक, संयुक्त सचिव संतोष खोरगड़े और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि 2022 से 2025 के बीच मान्यता प्राप्त संस्थानों के निरीक्षण के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। हालाँकि, कुछ संस्थानों ने अभी तक आवश्यक शैक्षणिक और भौतिक सुविधाएँ प्रदान नहीं की हैं। इसलिए, ऐसे संस्थानों को शिक्षण स्टाफ, गैर-शिक्षण स्टाफ, प्रयोगशालाओं, कक्षाओं, पुस्तकालय, छात्रावास और छात्रों के लिए अन्य आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए एक महीने का अंतिम अवसर दिया गया है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित 'मानक निरीक्षण प्रारूप' के अनुसार, इन मानदंडों का कार्यान्वयन अनिवार्य है। इसके लिए, संयुक्त निदेशक संस्थानों का भौतिक निरीक्षण करें और तुरंत विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को पूरा समर्थन प्रदान करेगी, लेकिन अधूरी सुविधाओं के कारण छात्रों को नुकसान पहुंचाने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, श्री पाटिल ने यह भी निर्देश दिया।

सिंचाई परियोजनाएं पूरा कर किसानों के जीवन में आर्थिक समृद्धि लाएं - सीएम

मुंबई - सरकार किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं और पहलों को लागू कर रही है। कृषि को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु सिंचाई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। कुछ परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 18 वर्षों के बाद निविदा प्रक्रिया जारी की गई है। फडणवीस ने निर्देश दिया है कि जल संसाधन विभाग रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करे और कृषि को स्थायी सिंचाई प्रदान करे, जिससे किसानों के जीवन में आर्थिक समृद्धि आए। पुनर्वासित गांवों में सभी नागरिक सुविधाओं को मानक के अनुरूप उन्नत किया जाए और वहां के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए एक नई कार्य प्रणाली बनाई जाए।

मुख्यमंत्री ने सह्याद्री अतिथिगृह में आयोजित एक बैठक में राज्य में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं के भूमि अधिग्रहण की समीक्षा की। इस बैठक में जल संसाधन (गोदावरी और कृष्णा बेसिन विकास निगम) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, जल संसाधन (विदर्भ, कोंकण और तापी बेसिन विकास निगम) मंत्री गिरीश महाजन, मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा, "ठाणे जिले में कालू नदी परियोजना महानगर की जलापूर्ति योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस परियोजना का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। परियोजना के पूरा होने पर महानगर के लिए पेयजल का एक स्थायी स्रोत उपलब्ध होगा। संबंधित जिला कलेक्टर इस परियोजना में लगने वाले वनों के लिए वैकल्पिक भूमि के प्रस्ताव प्रस्तुत करें। पेड़ों को हुए नुकसान का सर्वेक्षण करने के बाद, बदले में संबंधित जिले में वनरोपण किया जाना चाहिए।" सड़कों की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए, गांवों की आंतरिक सड़कें सीमेंट कंक्रीट की बनाई जानी चाहिए। मल-जल निकासी के लिए बंद नालियां होनी चाहिए। इस तरह, पुनर्वासित गांवों में भविष्य में पानी की कमी न हो, इसके लिए पानी के स्रोत का पता लगाया जाना चाहिए और योजना को पूरा किया जाना चाहिए, यह निर्देश भी मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दिए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कलेक्टरों से मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है, वहां जिला कलेक्टर इस कार्य को प्राथमिकता से पूरा करें। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाकर परियोजना के लिए तत्काल भूमि उपलब्ध कराई जाए। परियोजना पूरी होने के बाद जिले की सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और कृषि के लिए स्थायी सिंचाई उपलब्ध होगी। इससे निश्चित रूप से किसानों के जीवन स्तर में सुधार होगा। उन्होंने जिगांव परियोजना के अगले चरण के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य भी तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए। जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर ने प्रस्तुतिकरण दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, ओ.पी. गुप्ता, संजय बेलसरे, संजीव टाटू और संबंधित जिला कलेक्टर उपस्थित थे। राज्य में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत वर्तमान में 57 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। कुल एक लाख छह हजार पांच सौ तेरह हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। जिसमें से 27 हजार 755 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण अभी पूरा होना बाकी है। साथ ही, कुल 210 ग्राम थानों का पुनर्वास किया जा रहा है। जिनमें से 116 ग्राम थानों का पुनर्वास किया जा चुका है और 94 ग्राम थानों के पुनर्वास की प्रक्रिया चल रही है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर राज्य में 6 लाख 68 हजार 267 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई क्षमता सृजित होगी, जबकि 78.90 टीएमसी जल संग्रहण उपलब्ध होगा।

अमरावती–अजनी–अमरावती एक्सप्रेस के 4 आरक्षित डिब्बों में आम यात्रियों को मिलेगा अवसर

नागपुर – अमरावती-अजनी-अमरावती एक्सप्रेस के 4 आरक्षित डिब्बों में अब आम यात्रियों को यात्रा का मिलेगा अवसर। नागपुर मंडल द्वारा संचालित ट्रेन क्रमांक 12119/12120 अमरावती-अजनी-अमरावती एक्सप्रेस में अब यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान की जा रही है। यह ट्रेन 16 एलएचबी कोचों (2 गार्ड काम लगेज, 2 स्लीपर, 1 द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित, 1 वातानुकूलित चेयर कार, 1 चेयर कार सहित) के साथ चलाई जा रही है, जिनमें से अब तक 4 आरक्षित डिब्बे (2 स्लीपर, 1 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी इकोनॉमी, 1 वातानुकूलित चेयर कार) बंद अवस्था में चलते थे। प्रशासन द्वारा इन 4 डिब्बों को 1 अगस्त 2025 से 3 माह की प्रयोगात्मक अवधि के लिए आम यात्रियों के आरक्षण हेतु खोलने का निर्णय लिया गया है। इससे यात्रियों को न केवल अधिक विकल्प मिलेंगे, बल्कि ट्रेन की उपयोगिता भी बढ़ेगी। इन डिब्बों की बुकिंग 31 जुलाई 2025 से सभी पीआरएस केंद्रों एवं आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। मध्य रेल नागपुर मंडल यात्रियों की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए निरंतर बेहतर सेवाओं के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रेस विज्ञप्ति मध्य रेल, नागपुर मंडल के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी की गई है।

चांदूर रेलवे स्टेशन पर आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण एवं सेवा समस्या निवारण शिविर

नागपुर – नागपुर मंडल के चांदूर रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारजनों के लिए एक स्वास्थ्य परीक्षण एवं सेवा समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में न केवल स्वास्थ्य जांच की गई, बल्कि कर्मचारियों की सेवा संबंधी समस्याओं का समाधान भी मौके पर ही किया गया। यह शिविर मंडल रेल प्रबंधक विनायक गर्ग के निर्देशन में, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्रीमती सांझी जैन एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक श्रीमती निर्मला गुप्ता के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। शिविर के दौरान उपस्थित स्वास्थ्य दल में डॉ. श्रीजा, जिला विस्तार शिक्षक श्रीमती मंजुषा माटे, राजीव पाटेकर, मनोज साठवने (मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, वर्धा), हॉस्पिटल अटेंडेंट संजय शामिल थे। उन्होंने रक्तचाप, मधुमेह, बीएमआई आदि सहित विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण किए। साथ ही, कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।

कर्मचारियों की सेवा संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु कार्मिक शाखा से मुख्य कल्याण निरीक्षक श्री सुरेश पारेकल एवं मुख्य कार्यालय अधीक्षक रक्षित अश्वघोष उपस्थित रहे। इस दौरान यूनियन पब्लिक सर्विस से संबंधित जानकारी भी साझा की गई। शिविर को सफल बनाने में स्थानीय स्टेशन प्रबंधक श्रीमती दीपिका वाजपेई का विशेष योगदान रहा। मध्य रेल नागपुर मंडल अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सेवा सुधार के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे शिविरों के माध्यम से कर्मचारियों को समयबद्ध सेवाएं और जागरूकता प्रदान कर रहा है। यह प्रेस विज्ञप्ति मध्य रेल, नागपुर मंडल के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी की गई है।

महाराष्ट्र राज्य आयुक्त - समाज कल्याण जागरूकता" के पद पर डॉ. रमेशकुमार बोरकुटे नियुक्त

नई दिल्ली – अंतर्राष्ट्रीय महिला अधिकार एवं अपराध नियंत्रण परिषद और मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण परिषद - दिल्ली (भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन) के मुख्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में डॉ. रमेशकुमार एस. बोरकुटे को आधिकारिक तौर पर "महाराष्ट्र राज्य आयुक्त - समाज कल्याण जागरूकता" नियुक्त किया गया। यह उपाधि उन्हें उनके दीर्घकालिक सामाजिक कार्यों के सम्मान में प्रदान की गई है। सामाजिक कार्यों में दीर्घकालिक योगदान के कारण डॉ. रमेशकुमार बोरकुटे पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशिक्षक और जन जागरूकता अभियानों के प्रभावी नेता के रूप में जाने जाते हैं। वे जेहोवाज़ यिरे फ़ाउंडेशन के संस्थापक और सीईओ हैं और "सीखो, कमाओ और प्रगति करो" के आदर्श वाक्य के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा, रोज़गार और औद्योगिक प्रशिक्षण पर प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण शिविर, पर्यावरण संरक्षण अभियान, स्वास्थ्य शिविर और सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए हैं। उन्होंने महिला अधिकारों, युवा सशक्तिकरण और नशामुक्ति के लिए विशेष कार्य किया है।

संस्था को गौरव और शुभकामनाओं की वर्षा – इस गौरव से प्रेरित होकर, अंतर्राष्ट्रीय महिला अधिकार एवं अपराध नियंत्रण परिषद के मुख्य अधिकारी श्री वी. पी. सिंह ने डॉ. बोरकुटे का अभिनंदन किया। इस अवसर पर देश भर से सामाजिक क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे और डॉ. बोरकुटे को बधाई दी। डॉ. रमेश कुमार बोरकुटे ने कहा कि "इस पद की ज़िम्मेदारी न केवल एक सम्मान है, बल्कि समाज के लिए और अधिक करने का अवसर भी है। मैं महाराष्ट्र के लोगों में सामाजिक न्याय, जागरूकता और बदलाव लाने के लिए सदैव कार्यरत रहूँगा।"

कानून–व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैयार रहें राजस्व मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा

नागपुर – राजस्व मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आज शहर तथा ग्रामीण पुलिस बल को जिले में मनाए जाने वाले आगामी त्यौहारों, समारोहों तथा यात्राओं के दौरान कानून-व्यवस्था तथा शांति बनाए रखने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए।

आगामी त्योहारों और यात्राओं की पृष्ठभूमि में पालकमंत्री श्री बावनकुले की अध्यक्षता में पुलिस आयुक्त कार्यालय में शहर और ग्रामीण पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने ये सुझाव दिए। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र सिंगल, जिला कलेक्टर डॉ. विपिन इटनकर, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सुश्री वसंत परदेशी, शिवाजी राठौड़, राजेंद्र दाभाड़े, पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

आगामी दिनों में नागपुर शहर में नागपंचमी, नारली पूर्णिमा, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, कृष्ण जन्माष्टमी, दही हांडी उत्सव, बैलपोला, तान्हापोला, मारबत जुलूस उत्सव, गणेशोत्सव आदि त्यौहार शांतिपूर्वक मनाए जाएँ, इसके लिए पुलिस उपायुक्त ज़ोन के अनुसार शांति समिति की बैठकें आयोजित करें। साथ ही, श्री बावनकुले ने शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि शहर पुलिस को आवश्यक आधुनिक उपकरण और सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी और कामठी में पुलिस भवन के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पालकमंत्री बावनकुले की अध्यक्षता में आगामी त्योहारों और यात्राओं की पृष्ठभूमि में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर विशेष पुलिस महानिरीक्षक संदीप पाटिल, पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार, पुलिस उपायुक्त सर्वश्री अनिल म्हस्कर, दीपक अग्रवाल, वृष्टि जैन, विजय माहुलकर सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर पोद्दार ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आगामी त्योहारों के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग द्वारा बनाई गई योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने विभाग द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे शून्य मृत्यु कार्यक्रम और इसके तहत सूचना विश्लेषण के साथ अपराध जांच में आसानी, एआई के प्रभावी उपयोग आदि के बारे में भी जानकारी दी। बावनकुले ने इस अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध लॉटरी, अवैध रेत लेनदेन आदि को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस स्टेशन क्षेत्र में वृक्षारोपण करने और समय-समय पर पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपायुक्त और पुलिस निरीक्षकों को गाँव के दौरे के माध्यम से जनता के साथ बातचीत करने के निर्देश भी दिए।

महिलाओं और बच्चों के यौन शोषण और मानव तस्करी के खिलाफ नागपुर शहर पुलिस के ऑपरेशन शक्ति और शक्ति हेल्प डेस्क का उद्घाटन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने किया।

यह पत्र मालक, मुद्रक प्रकाशक मिलिंद दहिवले ने एम.पी.ऑफसेट सिरसपेठ चौक, उमरेड़ रोड, नागपुर यहाँ से मुद्रित कर कार्यालय : फ्लैट नंबर 204, दूसरा माला, साकेत अपार्टमेंट, फूलमती ले-आउट, आरोग्यम क्लीनिक के पास, नागपुर-27 से प्रकाशित किया. संपादक- मिलिंद दहिवले मो. 09552011005 email- manvadhikar2012@gmail.com